बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि०प्रा०(III)ब–आ–05/2014– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, अस्थावां, डिहरी–ऑन–सोन, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, बदीउज्जमा खान इंस्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी /राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105– बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड– एन 2203001050001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्व निर्गत आवंटनादेश संख्या– 3(आ), दिनांक 21.05.2015 तथा संख्या–23(आ) एवं 24(आ), दिनांक 06.08.2015 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, अस्थावां, डिहरी–ऑन–सोन, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, बदीउज्जमा खान इंस्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी /राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर को कुल रू० 3,11,31,000=00 (तीन करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित संस्थान अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–396, दिनांक 24.04.2015 एवं पत्रांक– 10471, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में अनुबंध के आधार पर रखे गए सुरक्षा गार्डो को उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर विभाग द्वारा चयनित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर के सृजित पद के विरुद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से संस्थानों में सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर विभागीय पत्रांक–586, दिनांक 24.3.2009 एवं पत्रांक–149, दिनांक 17.01.2012 में निहित दिशा–निर्देश के आलोक में संबंधित संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि व्याख्याताओं तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशको/प्रयोगशाला सहायकों को

अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में प्रति सत्र विषयवार निर्धारित व्याख्यान की सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

8. उक्त आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं भत्ते के भुगतान के उपरान्त राशि शेष रहने पर अन्य बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

9. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

10. विभिन्न विषय शीर्षो में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षो का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

11. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि0, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

12. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

13. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–<u>यथावर्णित।</u>
1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन
ह०/ –
(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–<u>यथावर्णित।</u>
1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, गुलजारबाग/ मुजफ्फरपुर/दरभंगा/ बरौनी (बेगुसराय)/ सहरसा/ भागलपुर/गया/गोपालगंज/कटिहार/लखीसराय/वैशाली/बिहारशरीफ/डिहरी–ऑन–सोन/सीतामढ़ी/शिवहर/झंझारपुर/मोतिहारी एवं सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–<u>यथावर्णित।</u>
1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि०) कं०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–<u>यथा वर्णित</u>
1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– : प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो॰)/प्रशाखा पदाधिकारी–3/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथा वर्णित
1(एक) पृष्ठ में।

ह॰/ –
अपर सचिव

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(III)ब–आ–05/2014– 358(वि॰) /पटना, दिनांक : 23/12/2015

प्रतिलिपि : श्री संजय कुमार, आई॰टी॰ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक–3432, दिनांक 01.04.2015 के आलोक में कार्रवाई तथा संबंधित संस्थानों को ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

23/12/15

<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार</u>

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट के "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु अतिरिक्त आवंटन की विवरणीः–

मांग संख्या – 43, विपत्र कोड – एन 2203001050001 (राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	रा. पो. पटना–7	रा. पो. मुजफ्फरपुर	रा. पो. दरभंगा	रा. पो. बरौनी	रा. पो. सहरसा	रा. पो. भागलपुर	रा. पो. गया	रा. पो. गोपालगंज	रा. पो. कटिहार	रा. पो. लखीसराय	रा. पो. वैशाली	न. रा. पो. अस्थावाँ	रा. पो. डिहरी–ऑन सोन	ब. खान इं. पो. सीतामढ़ी	रा. पो. शिवहर	रा. पो. मधुबनी	रा. पो. मोतिहारी	रा. म. पो. पटना	रा. म. पो. मुजफ्फरपुर	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
01 01 वेतन	0	0	0	0	700000	0	0	0	300000	67000	100000	0	0	0	2000000	200000	1000000	500000	600000	**5467000**
01 03 जीवन यापन भत्ता	0	0	0	0	600000	0	0	0	200000	100000	195000	0	0	0	2500000	300000	758000	455000	555000	**5663000**
01 04 मकान किराया	0	0	0	0	44000	0	0	0	25000	7000	7000	0	0	0	250000	10000	64000	38000	50000	**495000**
01 06 चिकित्सा भत्ता	0	0	0	0	3000	0	0	0	2000	0	8000	0	0	0	2000	1000	3000	2000	8000	**29000**
योग– वेतन एवं भत्ते	0	0	0	0	1347000	0	0	0	527000	174000	310000	0	0	0	4752000	511000	1825000	995000	1213000	11654000
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0		227000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227000
13 02 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	8000	7000	0	0	0	0	35000
13 04 विद्युत प्रभार	1000000	0	0	0	200000	200000	0	200000	2000000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	300000	300000	100000	**5000000**
14 01 किराया, महसूल एवं कर	0	0	0	0	0	389000	3826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4215000**
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	400000	400000	313000	250000	0	0	1450000	400000	300000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	1087000	600000	**10000000**
कुल योग	1400000	410000	313000	250000	1547000	589000	5503000	610000	2827000	874000	1910000	700000	700000	708000	5459000	1211000	2725000	2382000	1913000	31131000
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)	(य)	(र)	(ल)	(व)	(ण)

(क) चौदह लाख रूपये मात्र।

(ख) चार लाख दस हजार रूपये मात्र।

(ग) तीन लाख तेरह हजार रूपये मात्र।

(घ) दो लाख पचास हजार रूपये मात्र।

(ङ) पन्द्रह लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र।

(च) पांच लाख नवासी हजार रूपये मात्र।

(छ) पचपन लाख तीन हजार रूपये मात्र।

(ज) छः लाख दस हजार रूपये मात्र।

(झ) अठाईस लाख सताईस हजार रूपये मात्र।

(ञ) आठ लाख चौहतर हजार रूपये मात्र।

(त) दस लाख दस हजार रूपये मात्र।

(थ) सात लाख रूपये मात्र।

(द) सात लाख रूपये मात्र।

(ध) सात लाख आठ हजार रूपये मात्र।

(न) चौवन लाख उनसठ हजार रूपये मात्र।

(य) बारह लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र।

(र) सताईस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।

(ल) तेईस लाख बेयासी हजार रूपये मात्र।

(व) उन्नीस लाख तेरह हजार रूपये मात्र।

(ण) तीन करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रूपये मात्र।

23/12/15

अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना